03CC 306440

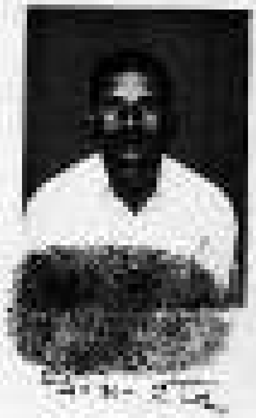

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रू0 5,42,588/-
बाजारू मूल्य	: रू0 3,37,900/-
स्टाम्प शुल्क	: रू0 54,300/-
परगना	: लखनऊ

यह विक्रय विलेख शिवचरन पुत्र श्री पोंचू निवासी-ग्राम अहमामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् राजू पुत्र रामधनी निवासी-254

[illegible]

2-12-04

[illegible]

250

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 20000 रु.

03CC 306441

चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि सत्यापित पंचवार्षिक खतौनी सन् 1409 से 1414 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 90 के खसरा संख्या–659 रकबा 0.771 हेक्टेअर, व खसरा संख्या–639/1271 रकबा 0.095 हेक्टेअर कुल दो किता व कुल रकबा 0.877 हेक्टेअर का 1/3 भाग अर्थात 0.289 हेक्टेअर स्थित ग्राम

[illegible]

दिनांक ... 2-12-?9

मूल्य ... 2

[illegible]

[illegible] ... [redacted]

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 685789

अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला– लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित भतवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 90 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. R^s 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व,

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 5,42,588/- (रूपया पाँच लाख बयालिस हजार पाँच सौ अट्ठासी मात्र) के प्रतिफल मे जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची मे वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को बताई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को मकबूली करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता

500Rs.

विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार का

शिवकरन

100 Rs.

स्थल से निकल जावें तो क्रेता उसके वारिसान, स्थलाभिषिक्तगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई

100Rs.

आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

भूमि 0.289 हेक्टेअर की मालियत रु0 3,17,900/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 54,300/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व

100Rs.

जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आये।

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–659,रकबा 0.771 हेक्टेअर, व खसरा संख्या–639/1271 रकबा 0.095 हेक्टेअर कुल दो किता व कुल रकबा 0.877 हेक्टेअर का 1/3 भाग अर्थात 0.289 हेक्टेअर स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला– लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

100 Rs.

<u>खसरा नं0 659</u>

पूरब	: चकरोड
पश्चिम	: खसरा संख्या-660
उत्तर	: खसरा संख्या-664
दक्षिण	: खसरा संख्या-658

<u>खसरा नं0 639/1271</u>

पूरब	: खसरा संख्या-638
पश्चिम	: चकरोड

100Rs

१०० रु.

Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

उत्तर : खसरा संख्या-632
दक्षिण : चकरोड

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल रु0 5,42,588/- (रुपया पाँच लाख बयालिस हजार पाँच सौ अट्ठासी मात्र) विक्रेता ने क्रेता से नगद प्राप्त किये तथा

100Rs.

जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक:03.12.2004

गवाह

1.

2. Sunil Kumar Sinha

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

मसविदाकर्ता

(उमा शंकर पाण्डेय)

.स्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :– [illegible] S/o [illegible]
[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

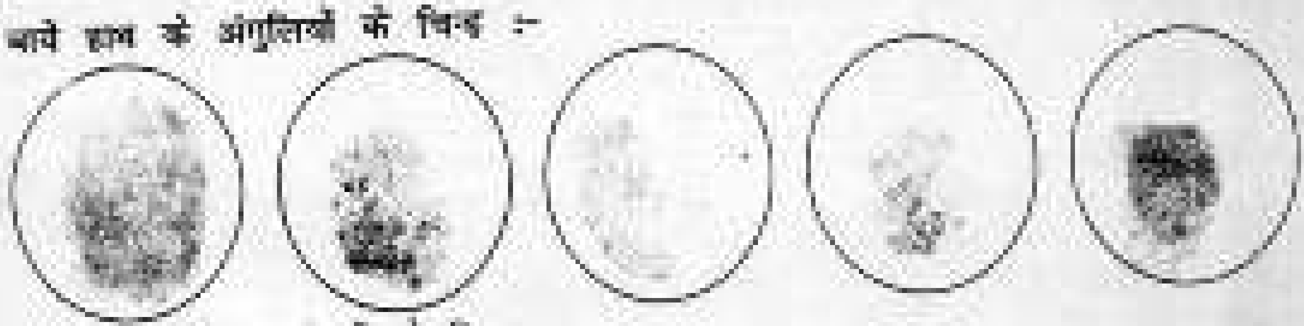

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :– [illegible] S/o [illegible]
[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

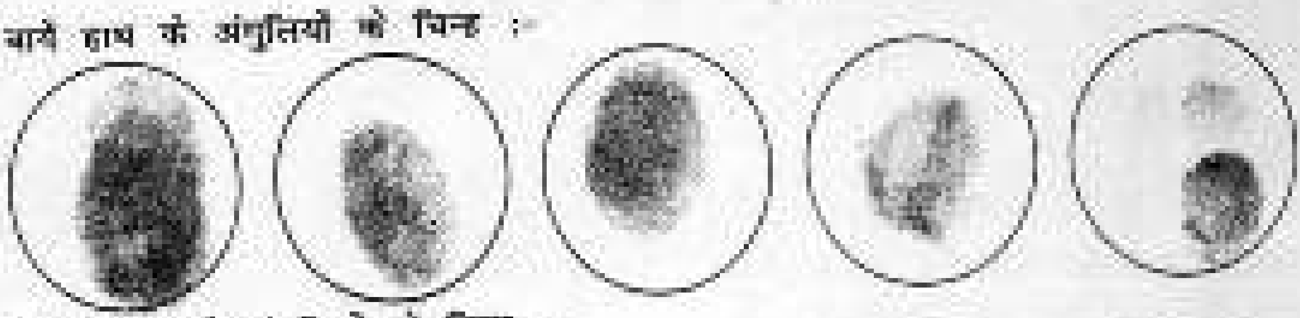

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

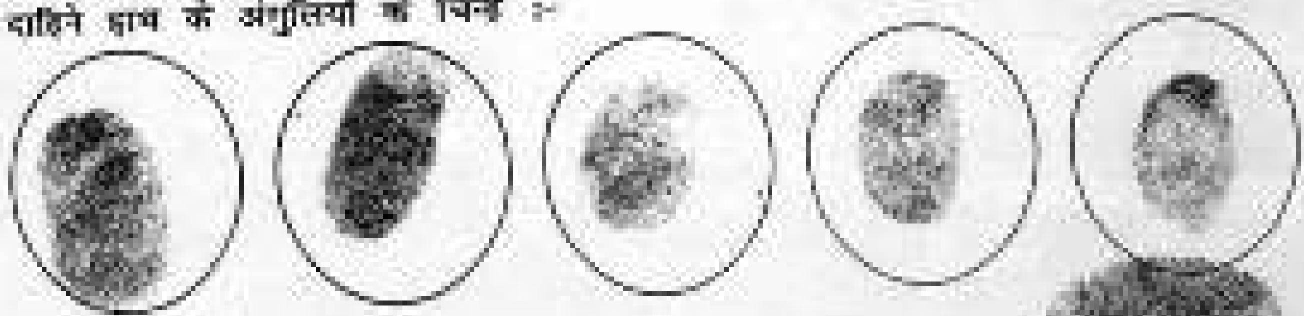

नक्शा नज़री

ग्राम :- अहमदगढ़

खसरा नं :- ६३९/६५ व ६५९

क्षेत्र :- शहर

जिला :- [illegible]

विवादित सम्पत्ति के पास स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

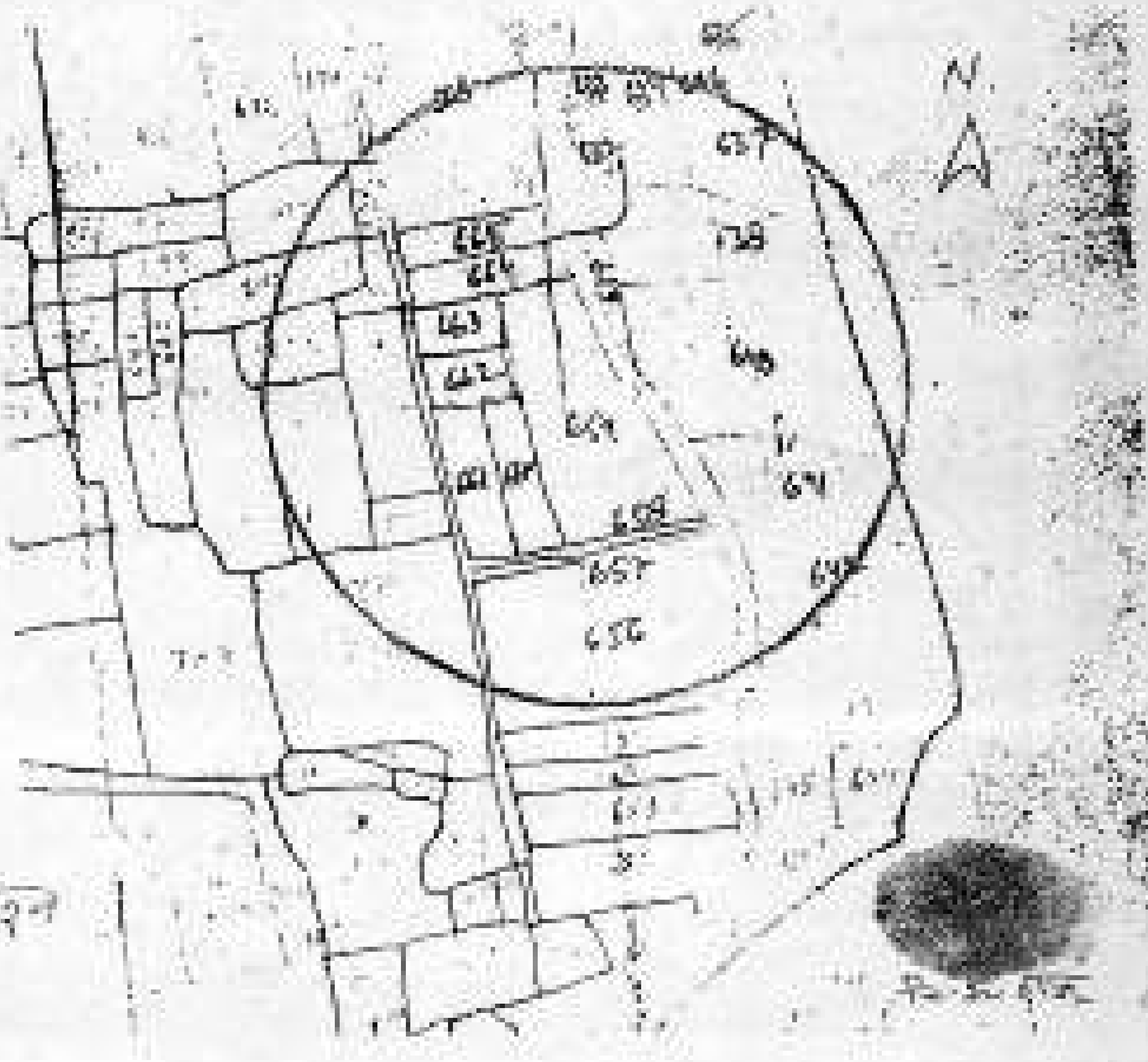

शिवशरण

आज दिनांक **03/12/2004** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **4698**

पृष्ठ सं. **393** से **426** पर क्रमांक **9961**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ